जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम : एक टिप्पणी

❑ प्रीतिश चंदा

जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (डी.पी.ई.पी.) विदेशी ऋण से संचालित है जिसमें से अधिकांश ब्याज सहित चुकाया जाना है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को इस परियोजना की छान-बीन करने और उस पर अपनी राय देने का अधिकार ही नहीं है बल्कि यह उसके कर्तव्य का हिस्सा है । 'शिक्षा-विमर्श' ऐसी जनतांत्रिक बहस के लिए खुला मंच है । यह टिप्पणी एक और समस्या की तरफ भी ध्यान खींचती है । विकेन्द्रीकरण और पास फेल, परीक्षा - रहित प्रणाली एवं अनग्रेडेड कक्षा शिक्षण तीनों ही प्राथमिक शिक्षा में काफी महत्वपूर्ण विचार हैं । इन के पीछे शिक्षा-दर्शन एवं शिक्षण शास्त्र है । और ये नकारात्मक अवधारणा में नहीं बल्कि बहुत ही सकारात्मक विचार हैं प्राथमिक शिक्षा के विकास में । पर जब शैक्षिक विचारों की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को समझे बिना, व्यापक तौर पर खुलासा किये बिना, उन्हें सीमित एवं संदिग्ध उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाता है (जैसा की बहु-कक्षा शिक्षण के नाम पर हो रहा है) तो एक भ्रांति फैलती है । यह भ्रांति उन लोगों को सर्वाधिक परेशान करती है जिनका शिक्षा से सरोकार है । अत: अच्छे विचारों का बिना तैयारी एवं उन्हें ठीक से समझे, अधकचरा प्रचार उन विचारों की भावी संभावनाओं को खत्म करता है। उक्त तीनों धारणाओं पर यह प्रतिकूल टिप्पणी यही सिद्ध करती है । इन विचारों का शैक्षणिक महत्व आंकना अभी बाकी है ।

1990 में थाईलैंड के जोमतियान शहर में मूल रूप से विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में घोषणा की गई थी : ''सन् 2000 तक सार्वजनीन (यूनिवर्सल) शिक्षा शुरू कर दी जायेगी । भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस घोषणा-पत्र के साथ सम्बद्ध होकर 1992 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन करके एक कार्यक्रम (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) ग्रहण किया । इसी कार्यक्रम का नाम डी.पी.ई.पी. यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजूकेशन प्रोग्राम अर्थात् जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। इस विषय में सवाल उठा कि केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को उन्नत करने हेतु विभिन्न योजनाएं हाथ में लेने के बावजूद अचानक इस तरह का एक कार्यक्रम दोबारा क्यों लिया गया? असल में 1986 की घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1989 के परिशोधित रूप में कारगर करने के लिए 1992 में एक कार्य-योजना (प्रोग्राम आफ एक्शन) तैयार की गई । इसमें बताया गया कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने से पहले प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनीन करना होगा। .....इसीलिए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है'' (डी.पी.ई.पी. माड्यूल यानी भाग नं. 1) इसमें जो विदेशी धन की सहायता है उसे भी स्वीकार किया गया है - ''यह मूल रूप में केन्द्रीय सरकार की पहल पर तैयार की गई स्कीम है। तभी अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (ब्रिटेन) अर्थात डिपार्टमेंट फॉर इन्टरनेशनल डिवलपमेंट (यू.के.) जैसी विदेश की विभिन्न संस्थाओं की आर्थिक सहायता हासिल हुई है ।'' (वही) जिन विदेशी संस्थाओं का नाम बताया गया है, वे असल में दक्षिण-पूर्व एशिया में विश्व बैंक योजना को ही रूपायित करने की जिम्मेदारी वहन कर रही हैं। 22.1. 1994 को केन्द्रीय सरकार ने इसी उद्देश्य से कर्ज लेने के समझौते पर दस्तखत किए हैं । डी.पी.ई.पी. का केन्द्रीय ब्यूरो दिल्ली में स्थापित हैं । केन्द्रीय सरकार व विश्व बैंक के संयुक्त प्रयास से यह संस्था पूरे देश में इस कार्यक्रम को लागू करने में जुटी हुई है । विश्व बैंक ने प्रति जिला 40 करोड़ रुपये दिए हैं एवं इस ऋण को ब्याज सहित लौटाने की प्रारंभिक योजना बनाने का कार्य किया जा रहा है। भारत का शासक वर्ग व विश्व बैंक एक ही जैसे समान स्वार्थ बोध से संचालित होकर संयुक्त प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं । इस योजना को रूपायित एवं क्रियान्वित करने हेतु केन्द्रीय स्तर के इस संगठन ने अपने अधीन तमाम राज्यों में मुख्य मंत्रियों को चेयरमेन बनाकर कमेटियां गठित की हैं । जिला स्तर पर भी कलक्टर को चेयरमैन बना कर कमेटियां बनाई गई हैं। तहसील, ब्लॉक, ग्राम व वार्ड को आधार बना कर शाखा-कमेटिया बनाई गई हैं या बना दी जाएंगी ।

विश्व बैंक का उद्देश्य - रुपया क्यों दिया ?

1996 में विश्व बैंक की डिवलपमेंट रिपोर्ट 'फ्राम प्लान टु मार्केट'' के 8 वें अध्याय में बताया गया है कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में अर्थात् भूमण्डलीकरण के रास्ते पर जाने के मध्यवर्ती स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से क्या योजना ग्रहण करनी होगी । वहां पर कहा गया है - भूमण्डलीकरण के स्वार्थ में शिक्षा व स्वास्थ्य सेक्टरों को पुनर्गठित करना होगा एवं इसके लिए सरकार को कुछ चालबाजियों का सहारा लेना होगा । इस भूमण्डलीकरण के स्वार्थ में उनकी तथाकथित सार्वजनीन शिक्षा व तथाकथित शिशु-शिक्षा वृद्धि का प्रस्ताव आया

है । कहा गया है, ''रोजगार बाजार में तेजी से हो रहे परिवर्तनों की संगति में अधिकाधिक शिशुओं को भर्ती करना और शिक्षा-क्षेत्र में परिवर्तन करना फलदायक होगा ।'' इस शिक्षा का उद्देश्य सुनिश्चित करते हुए कहा गया है ,''इसे सुदृढ़ रूप से दिमाग में बैठा दीजिए कि व्यापार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और मुनाफा कमाना ही प्रगति की चालक शक्ति है ।'' ... ''मजूदरों में एक भावना पैदा करो कि उन्हें रोजगार शोषण के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके विपरीत, उन्हें जीने का एक अवसर दिया जा रहा है ।''

...उन्हें इस बारे में सचेत करो कि शिक्षा, रोजगार व जीवन शैली अर्जित करने के लिए उन्हें खुद जिम्मेदारी वहन करनी होगी।'' उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। असल में इसका अर्थ है कि शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की नहीं, बल्कि व्यक्ति की ही है, मुनाफा कमाना ही प्रगति का रास्ता है - यही धारणा पैदा करनी होगी । शिशुओं को, मेहनतकश लोगों के बेटे-बेटियों को सिखाना होगा - मालिक जिन कारखानों को लगाते हैं, ये मजदूरों को जीवित बचे रहने का अवसर देने के लिए हैं, शोषण के लिए नहीं है । शिशुओं को शुरू से ही सिखाना होगा कि शिक्षा, नौकरी-चाकरी, जीवन-यापन की निजी शैली की सृष्टि करना भी उनकी अपनी निजी जिम्मेदारी है - इसके लिए सरकार का मुंह ताकने और उस पर निर्भर बने रहने से काम नहीं चलेगा । यहां तक कि भोजन, वर्दी- ये सभी नहीं दिए जाएंगे, ''जिला प्राइमरी शिक्षा प्रोग्राम दोपहर के भोजन, मुफ्त वर्दी आदि जैसे प्रोत्साहनों के लिए धन का निवेश नहीं करेगा ।'' विश्व बैंक निर्देशित शिक्षा का नया ''दर्शन'' तमाम देशों को अपनाना होगा। रुपये देने की उसकी यही शर्त है । सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि 170 अविकसित व विकासशील देशों में इसी स्कीम को चालू किया जा रहा है या चालू कर दिया जायेगा । इसी दौरान भारत में 14 राज्यों में यह स्कीम चालू कर दी गई है ।

भारत वर्ष के लिए विश्वबैंक के मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ मारले लॉकहुड के नेतृत्व में सात विशेषज्ञों की एक कमेटी ने एक विशेष रिपोर्ट पेश की है जिसका शीर्षक है ''प्राइमरी एजुकेशन इन इण्डिया''। इस रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने डी.पी.ई.पी. स्कीम को ग्रहण किया है । यह कोई अलग थलग या पृथक स्कीम नहीं है । केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित गाइड लाइन में कहा गया है :

''डी.पी.ई.पी. कोई विच्छिन्न एवं पृथक स्कीम नहीं है, यह एक बहुमुखी एवं वृहद् स्कीम है जो प्राइमरी शिक्षा के व्यापक पुनर्गठन पर लक्षित है ।'' फिलहाल विश्व बैंक ने जो बेशुमार रुपया दिया है वह सिर्फ मौजूदा प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को बदल देने के लिए है । भविष्य में वे शिक्षा पर खर्च का भार वहन नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से कहा गया है, ''याद रहे कि डी.पी.ई.पी. ऐसी स्कीम कतई नहीं है जो वित्तीय सहायताओं द्वारा आगे बढ़ती है; उल्टे एक ऐसा प्रोग्राम है जो कम खर्चीली, निरन्तर दोहराने योग्य टिकाऊ प्रणालियों की सृष्टि करने पर लक्षित है ।'' विश्व बैंक का रुपया देने का उद्देश्य है, भारतवर्ष की प्राइमरी शिक्षा प्रणाली को अपने ''दर्शन'' अनुसार बदल डालना और इसके लिए उन्होंने जो रुपया कर्ज दिया है उसे एक निर्धारित मियाद के अन्दर सूद समेत वापिस लेना ।

सार्वजनीन शिक्षा के नारे की आड़ में

सभी के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य - विश्व बैंक के इस मन मोहक नारे का उल्लेख 1996 में प्रकाशित ''फ्राम प्लान टु मार्केट'' अर्थात 'योजना से बाजार तक' रिपोर्ट में किया गया है । दर-असल विश्व बैंक ने अपनी बदनीयत को छिपाने हेतु सार्वजनीन शिक्षा का नारा उछाला है ।

विश्व बैंक समर्थित यह डी.पी.ई.पी. स्कीम जो सार्वजनीन शिक्षा के उद्देश्य को तनिक भी पूरा नहीं करेगी - यह बात उनके वक्तव्य से ही स्पष्ट हो गई है इसमें कहा गया है कि डी.पी.ई.पी. का कार्य है : शिक्षा को विकेन्द्रीकृत करने की एक चालाकी । असल लक्ष्य है शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से बाहर खींचकर उसका निजीकरण करना एवं इसी रास्ते पर शिक्षा को मुनाफा कमाने के लिए एक विशाल बाजार में परिणत कर देना । 5 से 9 वर्ष के बच्चों को अधिकाधिक तादाद में शिक्षा के आंगन में हाजिर करने की मौजूदा दिखावटी एवं लुभावनी तथाकथित सार्वजनीन अपील के पीछे शिक्षा के जन्म सिद्ध अधिकार को छीनकर मुनाफा बटोरने की निर्बाध आखेट-भूमि में परिणत कर डालने की साजिश छिपी हुई है।

1986 में भारत वर्ष में कांग्रेस द्वारा थोपी गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्वजनिक शिक्षा को तिलांजलि देना शुरू किया गया । इसी शिक्षा नीति में औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ समानान्तर रूप से गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया, जैसे कि मुक्त विश्वविद्यालय, दूर-शिक्षण यानी डिस्टैन्स लर्निंग आदि। इसके अलावा, ''सरकारी धन का आश्रित न होकर अपनी निजी शिक्षा का खुद ही बन्दोबस्त करो'' इस तरीके से जन साधारण को उपदेश दिया गया । प्राइवेट स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, टेक्नीकल शिक्षा आदि पर सरकार द्वारा हौसला अफजाई की जा रही है अर्थात शिक्षा को बाजार में परिणत करने की बात पर भारत वर्ष के शासक वर्ग ने भी ध्यान व महत्व दिया है। मगर जन प्रतिरोध के डर से एवं स्वाधीनता आन्दोलन के लम्बे अरसे में और बाद की अवधि में राष्ट्रीय नेताओं ने जिस प्रकार सार्वजनीन मुफ्त शिक्षा की मांग उठाई है - उसके कारण व संविधान में 14 साल की अवधि तक के बालक-बालिकाओं को मुफ्त सार्वजनीन शिक्षा दर्ज होने की वजह से भारतवर्ष का शासक वर्ग प्रत्यक्ष रूप से यह बात कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि सरकार शिक्षा का दायित्व ग्रहण नहीं करेगी । लेकिन 1992 की संशोधित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में या डी.पी.ई.पी. ग्रहण करके उन्होंने इस दुविधा से निजात पा ली है। शोषक वर्ग ने लज्जा का परित्याग करके, विश्व बैंक के साथ संबद्ध होकर घोषणा कर दी - शिक्षा का दायित्व सरकार का नही है ।

शिक्षा को सरकारी दायित्व से बाहर धकेल सकने पर जो निजीकरण या व्यावसायीकरण होगा - वह व्यवसाय के बाजार में भारतवर्ष के शासक पूंजीपति वर्ग को भी लाभ पहुंचाएगा । इस वजह से सार्वजनीन शिक्षा से असल में छुटकारा पाने के लिए वे भी व्याकुल होकर विश्व बैंक के सुर में सुर मिला रहे हैं ।

इसलिए, उनका 'सार्वजनीन शिक्षा' का नारा असल में जन साधारण को धोखा देने का हथियार है । 'सार्वजनीन शिक्षा' शब्दावली का अर्थ है मुफ्त व सरकारी प्रयास से शिक्षा । लेकिन वे संविधान में बताए गए इस सार्वजनीन शिक्षा के रास्ते पर कतई नहीं चल रहे हैं । कहा जा रहा है कि ''डी.पी.ई.पी. का लक्ष्य है स्थानीय रूप से तमाम संसाधन पैदा करके उन्हें नियमित व सहज-स्वाभाविक रूप में व्यवहार करके प्राइमरी शिक्षा के सार्वजनीन लक्ष्य को पूरा करना।'' जन साधारण खुद ही धन का जुगाड़ करके जो शिक्षा पण्य माल की तरह खरीद लेगें उसे यकीनन सार्वजनीन शिक्षा नहीं कहा जाता है। दर-असल डी.पी.ई.पी. ने जो कपटपूर्ण कदम उठाया है उसके फलस्वरूप शुरू में कुछ रुपये दिए जाने पर भी शिक्षा का समूचा व्यय भार जन साधारण पर ही लाद दिया जाएगा।

शिक्षा का विकेन्द्रीकरण

विश्व बैंक की पहली चालाकी है शिक्षा का विकेन्द्रीकरण। शिक्षा का विकेन्द्रीकरण तो डी.पी.ई.पी. का महत्वपूर्ण नारा है । शिक्षा को ग्राम स्तर से अर्थात एकदम सबसे निचले स्तर से योजना का विषय बनाकर पेश किया जाएगा । इस प्रकार शुरू करते हुए फिलहाल जिला स्तर से योजना बनाई गई है :

''अब तक शिक्षा की योजना राष्ट्रीय स्तर या राज्य-स्तर पर बनायी जाती रही है ।... नियोजन ग्राम स्तर से उच्च-स्तरों तक शुरू होना चाहिए । शुरू-शुरू में जिला ही बुनियादी इकाई हो सकता है ।'' (प्राइमरी एजूकेशन इन इण्डिया- वर्ल्ड बैंक)''पाठ्यक्रम तैयार करने से शुरू करके धन-संग्रह तक समूची योजना का दायित्व ग्राम/नगर कमेटी के हाथ में रहेगा । वे शिक्षा के खर्च का भार-वहन के लिए जन-साधारण पर टैक्स लगाएंगीं या अन्य उपायों का सहारा लेंगी ।'' ''संसाधन -संघटन में सुधार लाने के लिए एक अधिक व्यापक राजस्व आधार तैयार करो ।'' स्कूलों में मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी से सरकार को मुक्त करना होगा ।

भारत वर्ष के स्वतंत्रता आन्दोलन के राष्ट्रीय नेताओं, जिन्होंने शिक्षा के विषय में गौर किया है, उन सभी ने एक ही बात कही है कि शिक्षा-खर्च का भार सरकार को वहन करना होगा, मुफ्त पुस्तकों-कापियों की आपूर्ति करनी पड़ेगी । मिसाल के तौर पर लाला लाजपतराय ने कहा - ''पाठ्य-पुस्तकों की छपाई सरकार का एकाधिकार होना चाहिए । पाठ्य पुस्तकों की बिक्री से समूची प्राइवेट मुनाफाखोरी को अवश्य ही खत्म कर दिया जाये । तमाम प्राइमरी स्कूलों में पुस्तकें मुफ्त सप्लाई की जानी चाहिए ।'' (भारत में राष्ट्रीय शिक्षा) प्राईमरी शिक्षा की जिम्मेदारी तो अवश्य ही, बल्कि उच्च शिक्षा का दायित्व भी राज्य को निभाना होगा - यह बात भी उन्होंने कही, ''सार्वजनीन पब्लिक शिक्षा प्रदान करना सरकार का अनिवार्य दायित्व है । प्राथमिक रूप से शिक्षा के लिए ही सरकार का राजस्व खर्च किया जाए । .... प्राइमरी शिक्षा के साथ ही सरकार का दायित्व खत्म नहीं हो जाता। सरकार उच्च शिक्षा की जरूरतों की उपेक्षा नहीं कर सकती ।'' (वही) लेकिन वे इस रास्ते पर चलने की बजाए उल्टी दिशा में बढ़े जा रहे हैं ।

सरकार को सिर्फ आर्थिक जिम्मेदारी ही जनसाधारण पर थोप कर सब्र नहीं आ रहा है। बल्कि पाठ्य-क्रम, पाठ्य-पुस्तकों के चयन की जिम्मेदारी को भी वह नहीं निभाएगी । पुस्तकों के चयन, जरूरी पाठ्यचर्या तैयार करने का कार्य भी निचले स्तर से यानी फिलहाल जिला स्तर से, स्थानीय मांग की प्राथमिकता द्वारा पाठ्य-चर्या तैयार होगी । व्याख्या करके बताया गया है - ''हरेक जिले में सामाजिक-सांस्कृतिक कुछ विशिष्टता होती है । कहीं आदिवासी या कुछ पिछड़ी जन-जातियां हैं । आसान भाषा में कहें तो जिले की शिक्षा की जरूरतें अलग करके चिन्हित व निर्धारित करनी होंगी। यह स्थितियों के मुताबिक जिले के लिए पेश की गई जरूरत एवं स्वयं संपूर्ण सार्थक योजना है । (डी.पी.ई.पी. माड्यूल नं. 1) इन स्थानीय जरूरतों के बीच कहीं भी अगर उपभाषा के माध्यम से शिक्षा की जरूरत हो तो सभी जगह एक ही भाषा की बजाए, स्थानीय जरूरत के अनुसार भिन्न-भिन्न उपभाषाएं (यानि बोलियां) ही वह स्थान ग्रहण कर लेंगी ।

पाठ्य-क्रम का यह विकेन्द्रीकरण एवं ''स्थानीय जरूरतों' को प्राथमिकता देकर पाठ्यचर्या निर्धारित करने का खतरा यह है कि क्षेत्रीयतावाद, संकीर्णतावाद अपना मनहूस सिर उठाएंगे । समूचे देश में सुसंगठित राष्ट्रीय प्रणाली तैयार होने की बजाए शिक्षा के नाम पर कूपमंडूकता (अज्ञानता), विच्छिन्नता शक्तिशाली हो जाएंगी। इसके साथ-साथ विश्व बैंक कथित - ''मुनाफा ही प्रगति का रास्ता'' के साथ युक्त होने पर सर्वनाश अवश्यंभावी हो जाएगा ।

पास-फेल व परीक्षा प्रणाली नहीं : परिणाम-मुक्त

दूसरी चालाकी स्वत: प्रोन्नति (प्रमोशन) है । प्राइमरी स्कूल में पास-फेल परीक्षा प्रणाली नहीं रहेगी, वह परिणाम मुक्त होगी, छात्रों का निरन्तर मूल्यांकन ही जारी रहेगा । मगर इस मूल्यांकन के आधार पर एक कक्षा में किसी भी छात्र को फेल करके दो बार रखा नहीं जा सकेगा - यही है विश्व बैंक तथा डी.पी.ई.पी. का निर्देश। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने इस परिणाम-मुक्त प्रणाली को पहले ही लागू कर दिया है । शिक्षा-विज्ञान की अनेक शब्दाडम्बरपूर्ण गंभीर बातों द्वारा विषय को तर्क-संगत करने की पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा सरकार ने बहुत कोशिश की है लेकिन असली कारण की पोल विश्व बैंक की रिपोर्ट से खुल गई । उन्होंने

कहा - ''फेल कर के एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाने का अर्थ है उसके पीछे सरकार द्वारा और ज्यादा धन खर्च करना''- इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती । इसीलिए निर्णय लिया गया - सभी को पास कर दो । और भी स्पष्ट करके कहा गया है, कर्ता-धर्ता लोग जानते हैं कि कक्षा-विज्ञान की दृष्टि से गौर करने पर स्वत: पास प्रणाली के खिलाफ ऐतराज उठ सकता है। इस आपत्ति को वे किसी काल्पनिक शिक्षा-विज्ञान द्वारा रोकने की कोशिश नहीं करते जिस तरह पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार कर रही है। बल्कि विश्व बैंक ने तो खुल्लम-खुल्ला स्वीकार कर लिया है कि पास-फेल प्रणाली जारी रहने पर असल में शिक्षा-मद में व्यय बढ़ जाएगा । इसलिए खर्च कम करने के उद्देश्य से एक कक्षा में किसी छात्र को दो-बार रोका नहीं जा सकेगा । जब पूरे मामले का फैसला आर्थिक नफे-नुकसान की दृष्टि से किया जा रहा है; खर्च-पोषण दृष्टिकोण से निर्णय किया जा रहा है, तब किसी ने क्या एवं कितना सीखा है- इन सब बातों पर गौर करना उनके लिए बेमानी है । इसीलिए खर्च-पोषण के लिए स्वत: पास प्रणाली चालू की जा रही है ।

मल्टी-ग्रेड टीचिंग

तीसरी चालाकी है एक नई एवं निराली शिक्षण-पद्धति । सार्वजनीन शिक्षा की यथार्थ योजना तो दूर, डीपीईपी की उन्होंने जो नई शिक्षण-पद्धति शुरू की है वह सचमुच ही नूतन है । इसका नाम उन्होंने दिया है ''साथ-साथ एक से ज्यादा कक्षाएं पढ़ाना ।'' अर्थात मल्टीग्रेड टीचिंग । इस नई पद्धति को क्यों अपनाया गया है- यह उन्हीं की भाषा में सुनिए - ''सिर्फ प. बंगाल में ही नहीं, समूचे भारत वर्ष में प्राइमरी स्कूलों का चित्र यह है कि स्वाधीनता मिलने के 50 साल बाद भी मूलत: आर्थिक कारण से 80 प्रतिशत स्कूलों में कक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करना संभव नहीं है। इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान रातों-रात हो जाएगा - इसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा के लिए आग्रह में वृद्धि, सारकार के जन-शिक्षा-मुखी विभिन्न प्रयास जैसे विभिन्न किस्म के कारणों से प्राइमरी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मगर आनुपातिक दर से स्कूलों की , कक्षाओं के कमरों की संख्या एवं शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही है । यह नहीं कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में छात्रों-छात्राओं की समानुपातिक शिक्षण-संख्या बढ़ाना संभव होगा या नहीं।'' (माड्यूल नं. 2 डी.पी.ई.पी.)

फलस्वरूप यह माना जा रहा है कि ''निकट भविष्य में'' प्राइमरी शिक्षा को सार्वजनीन बनाने की कोई संभावना नहीं है। इसी चिंतन से ''साथ-साथ एकाधिक कक्षाएं पढ़ाने'' की पद्धति का उद्भव हुआ है, जो अवश्य ही डी.पी.ई.पी. की अभिनव पद्धति ही है । डी.पी.ई.पी. का रहस्य इस दफा भी इसी शिक्षा पद्धति में निहित है । यह सोच विचार करके देखा जाये ।

आम तौर पर एक प्राइमरी स्कूल में 4 कक्षाएं होती हैं । इन 4 कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को एक ही शिक्षक पढ़ा सकेगा - ऐसी अभिनव पद्धति का नाम है, ''साथ साथ एकाधिक कक्षाएं पढ़ाने'' की पद्धति । शिक्षक पहले पीरियड में पहली व दूसरी कक्षाओं को लेकर एक ही कमरे मे बैठेगा और एक साथ दोनों कक्षाओं को पढ़ाएगा । पढ़ाने के लिए मूल रूप में मानचित्र, मॉडल जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा । पुस्तकें-कापियां बहुत ही कम होंगी । इस कार्य में दोनों कक्षाओं के लिए एक ही किताब होगी । इस समय तीसरी व चौथी कक्षा के छात्र-छात्राएं उस कमरे से बाहर रहेंगे - छात्र-छात्राओं के बीच से निर्वाचित मानिटर उनकी निगरानी करेगा । बाद के पीरियड में यही शिक्षिक तीसरी व चौथी कक्षाओं के विद्यार्थियों के कमरे में जाएगा एवं उन्हें पढ़ाएगा, तब पहली व दूसरी कक्षाएं बाहर मॉनीटर के नियंत्रण में रहेंगी । ''साथ-साथ एकाधिक (एक साथ दो कक्षा) कक्षाएं पढ़ाने के द्वारा जब शिक्षक एक कक्षा को पाठ पढ़ायेगा तो दूसरी कक्षा में शिक्षक की कमी को मानिटर पूरा करेगा ।'' (माड्यूल नं. 2) इस प्रकार एक शिक्षक ही एकाधिक कक्षाओं को एक साथ पाठ पढ़ाएगा -इसीलिए इस पद्धति का नाम है ''साथ-साथ एकाधिक कक्षाएं एक साथ पढ़ाना या मल्टी-ग्रेड टीचिंग । (प्रशिक्षण सहायिका- डी.पी.ई.पी. दृष्टव्य) ।

इस प्रक्रिया में पढ़ाने के लिए जो नई शिक्षण पद्धति अपनाई जा रही है, वह निराली एवं अभिनव है । कहा गया है, ''शिशु अपने निजी तरीके एवं मनोभाव द्वारा अपनी ही चेष्टा द्वारा अनुभव-अभिज्ञता को इस्तेमाल करके ही सीखेगा । शिशु की शिक्षा खिले हुए चेहरे के परिवेश में चलेगी'' उन्होंने इसे ''शिशु-केन्द्रित शिक्षा'' नाम दिया है । कहा गया है कि ''अपने तरीके एवं पद्धति से ही शिशु सीखेगा। शिशु की शिक्षा वस्तुओं व ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से शुरू होगी । ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से शिशु अनुभव-अभिज्ञता संचित करेगा । अभिज्ञता अनुभव से ही धारणा पैदा होगी। धारणा ज्ञान का रूप ग्रहण करेगी । इसी को उपदेश-मुक्त या नीति-मुक्त शिक्षा की संज्ञा दी गई है । .... प्राइमरी शिक्षा की पृष्ठभूमि इसी आधार पर तैयार की गई है ।'' (प्रशिक्षण सहायिका - माड्यूल नं. 1 व 2 इकट्ठे)

इस उपदेश मुक्त शिक्षा का अंजाम क्या होगा - यह एक चित्र में साफ नजर आता है । केरल में डी.पी.ई.पी. चालू कर दिया गया है । वहां शिक्षकों द्वारा हैंड-बुक चित्र द्वारा डी.पी.ई.पी. कक्षा के सामने विवरण पेश किया जा रहा है । दिखाया गया है कि छात्र-छात्राओं को खुली छूट दी गई है, वे आपस मे मार-पीट कर रहे हैं, रोड़े फेंक रहे हैं । कागज के जहाज या पतंग उड़ा रहे हैं, जिसके जो मन में आए, वैसा आनन्द प्रकट कर रहा है । शिक्षिका महज मूक दर्शक है । इसका कारण यह है कि उसके द्वारा हस्तक्षेप की मनाही है । (टीचर्स हैंड बुक तीसरी कक्षा , पृष्ठ 146) डी.पी.ई.पी. इसी किस्म की अराजकतापूर्ण कक्षा की सृष्टि करता है ।◆